

समाहरणालय , मधेपुरा

(उत्पाद विभाग)

बन्दोवस्ती संबंधित सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मधेपुरा जिला के वित्तीय वर्ष 2015 - 16 के लिए लिए दिनांक 13.03.2015 को हुई बन्दोवस्ती के पश्चात् शेष अबन्दोवस्त उत्पाद दुकानों की समूहवार बन्दोवस्ती लॉटरी के माध्यम से समाहर्ता , मधेपुरा द्वारा प्रत्येक सप्ताह के बृहस्पतिवार (गुरुवार) को समाहरणालय सभाकक्ष , मधेपुरा में की जायेगी।

इच्छुक उम्मीदवार विहित प्रपत्र में आवश्यक कागजात सहित अपना आवेदन बन्दोवस्ती के एक दिन पूर्व तक अधीक्षक उत्पाद, मधेपुरा के कार्यालय में कार्यालय अवधि तक जमा कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी अधीक्षक उत्पाद मधेपुरा के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। बन्दोवस्ती के सभी शर्तें एवं बंधेज पूर्व निर्गत बिक्री अधिसूचना ज्ञापांक 187 दिनांक 26.02.2015 के अनुसार यथावत् रहेगी।

अबन्दोवस्त दुकानों के समूहों की सूची निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	समूह क्रमांक	दुकान का नाम
1	2	3
1	12	(क) देशी शराब दुकान मुरलीगंज - 02
		(ख) विदेशी शराब दुकान मुरलीगंज - 02
		(ग) कम्पोजिट शराब दुकान संख्या - 22
2	55	(क) कम्पोजिट शराब दुकान संख्या - 48

ह/०

समाहर्ता ,
मधेपुरा !

ज्ञापांक 295/उ०, मधेपुरा ,

दिनांक 14.03.2015

प्रतिलिपि :-

आयुक्त उत्पाद के सचिव, बिहार पटना / सभी उपायुक्त उत्पाद बिहार राज्य/आयुक्त के सचिव,कोशी प्रमंडल, सहरसा/प्रभारी पदाधिकारी गोपनीय शाखा, मधेपुरा/पुलीस अधीक्षक, मधेपुरा/अपर समाहर्ता,मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी ,मधेपुरा/उदाकिशुनगंज /सभी सहायक आयुक्त उत्पाद , बिहार राज्य/सभी अधीक्षक उत्पाद, बिहार राज्य/कार्यपालक पदाधिकारी ,नगर परिषद मधेपुरा/निरीक्षक उत्पाद ,मधेपुरा/अवर निरीक्षक उत्पाद,मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-

जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि बंदोवस्ती का व्यापक प्रचार- प्रसार अपने स्तर से सुनिश्चित करायें।

14/03/15

समाहर्ता ,
मधेपुरा ।